

<u>रजिस्टर्ड</u>—ए०डी० द्वारा निर्वाचन सदन NIRVACHAN SADAN अशोक रोड, नई दिल्ली — 110001 ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110001

फाo संo: 56/16/2009/राoद0अनु0-I

तारीखः 5 सितम्बर, 2011.

सेवा में,

अध्यक्ष, भारतीय कान्तिकारी दल, ए–5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली–110092.

विषय:— "भारतीय कान्तिकारी दल"—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में रिजस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,
मुझे, यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग ने "भारतीय
कान्तिकारी दल" का राजनैतिक दल के रूप में रिजस्ट्रीकरण करने के लिए आपके तारीख
31.10.2008 के आवेदन और उक्त आवेदन—पत्र में विवरण/प्रकथन के समर्थन में प्रस्तुत कागजातों
और दल के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में तारीख 05.09.2011 को आयोग
के समक्ष दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क
के अधीन "भारतीय कान्तिकारी दल" का तारीख 05.09.2011 से राजनैतिक दल के रूप में

- 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (9) में यथा उपबंधित दल अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारी, पते या अन्य किसी तात्विक मामले में, यदि कोई हो तो, किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना आयोग को शीघ्र देगा । इस प्रकार के परिवर्तन की सूचना निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ भेजी जाएगी:—
 - (i) दल के संविधान में निर्धारित सक्षम समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प तथा उस बैठक का सम्पूर्ण कार्यवृत जिसमें ऐसे परिवर्तन/संशोधन का निर्णय लिया गया है, कि एक प्रमाणित प्रति।
 - (ii) उपरोक्त बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों के नाम की सूची।
 - (iii) उपरोक्त बैठक में उपस्थिति रजिस्टर का उद्धरण (extract) जिसमें भाग लेने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर हों, की एक प्रमाणित प्रति।

Tel: 011-23717391, Fax: 011-23713412, Website: www.eci.nic.in

- 3. यह भी नोट किया जाए कि रिजस्ट्रेशन के कारण दल अपने लिए किसी अनन्य प्रतीक का हकदार नहीं होगा तथापि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 12 के अधीन पार्टी द्वारा सम्यक् रूप से खड़े किए गए उम्मीदवार को मुक्त निर्वाचन प्रतीक के आबंटन में निर्दलीय उम्मीदवारों के ऊपर वरीयता का लाभ दिया जायेगा ।
- 4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख और 29ग के प्रावधानों के अंतर्गत (राजनीतिक दलों को अंशदान से संबंधित), दल को एक वित्तीय वर्ष में रू० 20,000/— से अधिक प्राप्त संदान/अंशदान के बारे में निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संलग्न प्रारूप 24क में एक रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसी रिपोर्ट में दल की स्थायी खाता संख्या (PAN) का विवरण देना होता है। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दल का स्थायी खाता संख्या (PAN) प्राप्त कर आयोग को उसका विवरण दल के पंजीकरण से छः माह के भीतर सूचित कर दें।
- 5. आपके दल की पंजीकरण संख्या <u>56/16/2009/रा0द0</u> अनु0-ं। है
- 6. यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग का राजनीतिक दलों के झण्डे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार शमी) अवर सचिव

फा0 सं0: 56/16/2009/रा0द0अनु0-I

तारीखः 5 सितम्बर, 2011.

प्रतिलिपि:-

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 2. राज्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
- 3. राजनैतिक दल अनुभाग 11.
- 4. गार्ड फाईल।

(प्रमोद कुमार शर्मा) अवर सचिव